

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार,
राजस्थान परिमण्डल, सरदार पटेल मार्ग,
सी-स्कोम, जयपुर-302008



Connecting India

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

ज्ञापन संख्या : कल्याण/3-92/छात्रवृति/2018-19/6
जयपुर, दिनांक : 14 -06-2018

विषय : बी.एस.एन.एल. राजस्थान परिमण्डल कार्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए बुक अवार्ड बाबत।

मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार एवं अध्यक्ष भारत संचार निगम लिमिटेड राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड जयपुर द्वारा संलग्न प्रपत्र में बुक अवार्ड वर्ष 2018-19 के लिए परिमण्डल कार्यालय स्टाफ, (सी.एम.टी.एस. विंग/सर्टकता/कारपोरेट लेखा/आर.टी.टी.सी./सी.टी.एस.डी. स्टाफ सहित) वरिष्ठ मुख्य अभियंता (विद्युत)/वरिष्ठ मुख्य अभियंता (सिविल) एवं वरिष्ठ वास्तुकार, जयपुर स्टाफ कर्मचारियों से आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. स्कूल जाने वाले उत्कृष्ट बच्चों को बुक अवार्ड प्रदान करने के लिए पात्रता एवं शर्तें :-

केवल कक्षा द्वितीय से बारहवीं तक के स्कूल जाने वाले उत्कृष्ट बच्चों के लिए ही यह पुरस्कार स्वीकृत किये जायेंगे। सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 75 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 65 प्रतिशत आवश्यक है। यह अवार्ड वर्ष 2017-18 में प्रथम कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा के निष्पादन के आधार पर दिये जायेंगे। सभी श्रेणी की छात्राओं के लिए 15 प्रतिशत अंकों की छूट देय है। तथापि, दोनों छूटों को मिलाया नहीं जा सकता है अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रा को केवल 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

दिनांक 1-07-2018 को कर्मचारियों का मूल वेतन 38,630/- (आ.ई.डी.ए) रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए। पुरस्कार की रकम द्वितीय कक्षा से पंचम तक 600 रूपये, कक्षा षष्ठी से अष्टम तक 800 रूपये और कक्षा नवीं से बारहवीं के लिए 1000 रूपये होगी। एक समय में एक कर्मचारी के सिर्फ दो बच्चे बुक अवार्ड प्राप्त करने के पात्र होगे।

टिप्पणी :- (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को ही यह पुरस्कार दिये जायेंगे।

(2) यह पुरस्कार पूर्व कक्षा अर्थात् वर्ष 2017-18 के निष्पादन के आधार पर दिए जायेंगे।

2. आवेदन पत्र :-

आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित यूनिट/कार्यालय प्रधानों के माध्यम से सहायक निदेशक (कल्याण), कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार, राजस्थान परिमण्डल जयपुर के पास दिनांक 31-07-2018 तक पहुँच जाने चाहिए। आवेदन पत्र को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जावेगा। यदि :-

- (क) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि 31-07-2018 तक प्रस्तुत नहीं किये हो।
- (ख) आवेदन पत्र पूर्ण भरे हुए न हों (जैसा कि प्रत्येक कॉलम का उत्तर दिया जाना है)
- (ग) आवेदन पत्र उत्तीर्ण परीक्षा की अनुप्रमाणित अंकतालिका सहित न हो।
- (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के मामले में जाति प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन न हों।
- (ङ.) कॉलम "क" और "ख" में दी गई प्रविष्टियों जिला/कार्यालय यूनिट अधिकारी द्वारा प्रमाणित न हो।

22/11/2018

- (च) आवेदन पत्र के अंतर्गत कालम ग में दी गई प्रविष्टियां उस संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित न हो जिसमें छात्र अध्ययन कर रहा है।
3. जिला/कार्यालय प्रधान कर्मचारियों की मौंग/आवश्यकतानुसार साइक्लोस्टाइल फार्म की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेंगे। वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।
4. बुक अवार्ड योजना और इस पत्र की विषय वस्तु आपके द्वारा नियंत्रित/अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी में लावें।

कृपया इसकी पावती भेजें।

संलग्न – आवेदन पत्र प्रोफार्म

२२२११८
१५-६-२०१८
(एम. एस. तोमर)

सहायक निदेशक (कल्याण) एवं सचिव,
बी.एस.एन.एल, राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड,
कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार, राज परिं, जयपुर- 302008

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार राजस्थान परिमण्डल, जयपुर
2. सभी प्रधान महाप्रबन्धक/वरिष्ठ महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक परिमण्डल कार्या. जयपुर/नियन्त्रक संचार लेखा झालाना डूंगरी, जयपुर
3. वरिष्ठ मुख्य अभियंता (विधुत)/वरिष्ठ मुख्य अभियंता (सिविल)/वरिष्ठ वास्तुकार बी.एस.एन.एल राजस्थान परिमण्डल, जयपुर
4. महाप्रबन्धक (सर्तकता)/मुख्य लेखाधिकारी (कारपोरेट लेखा) झालाना डूंगरी, जयपुर
5. सभी उप महाप्रबन्धक परिमण्डल कार्यालय/संयुक्त सी.सी.ए. झालाना डूंगरी, जयपुर
6. उप महाप्रबन्धक आर.टी.टी.सी/मण्डल अभियंता आर.टी.टी.सी/सी.टी.एस.डी जयपुर
7. सभी सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य लेखाधिकारी परिमण्डल कार्यालय जयपुर
8. सभी ग्रुप अधिकारी/अनुभाग पर्यवेक्षक परिमण्डल कार्यालय/सी.एम.टी.एस. विंग, जयपुर सहित।
9. परिमण्डल सचिव, बी.एस.एन.एल.इ.यू./एन.एफ.टी.ई./ए.आई.बी.एस.एन.एल.ई.ए./एस.एन.ई.ए./एस.सी./एस.टी. एम्प्लाईज वेलफेयर एसोसियसन राजस्थान परिमण्डल
10. सम्पादक "चेतक" पत्रिका परिमण्डल कार्यालय, जयपुर।
11. सभी सदस्य बी.एस.एन.एल राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड
12. सभी एस.एस.ए प्रमुखों को प्रतिलिपि सूचनार्थ और अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से इस संबंधित आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए कार्यवाही करें।

अंतिम तिथि 31-07-2018

पुरस्कार का प्रकार :— 1. बुक अवार्ड के लिए फार्म भरा जाए ।

(क)

1. कर्मचारी का नाम _____
2. पदनाम _____
3. एच.आर. नम्बर _____
4. कार्यालय का पता _____
5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर _____
6. जन्म तिथि _____
7. दिनांक 01-07-2018 को कर्मचारी का मूल वेतन (78.2 के अनुसार आई.डी.ए) _____
8. यदि पति/पत्नी सेवारत हों तो उसका मूल वेतन _____
9. दोनों का कुल मूल वेतन ($7 + 8$) _____
10. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है :— हॉ/नहीं यदि हॉ तो जाति प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें _____

(ख)

11. विद्यार्थी का नाम _____
12. आवेदक से संबंध _____
13. जन्म तिथि _____
14. यदि वह मन्दबुद्धि/विकलांग है तो चिकित्सा प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाए ।
15. विद्यार्थी के हस्ताक्षर _____

(ग) जिस शिक्षा के लिए बुक अवार्ड हेतु आवेदन किया है, उसका विस्तृत विवरण :—

1. पाठ्यक्रम का नाम _____
2. वर्ष 2018-19 में किस स्तर पर पढ़ाई चल रही है । परीक्षा वर्ष का उल्लेख करें _____
3. संस्थान का नाम _____
4. राज्य/संस्था जिससे वह संबंद्ध है/ मान्यता प्राप्त है _____

८२

(घ) विद्यालय जाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को दिये जाने वाले बुक अवार्ड राशि हेतु उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण (अंक तालिका की सत्यापित प्रतिलिपि लगावें)

उत्तीर्ण कक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णाक	प्राप्तांक	अंको का प्रतिशत

नोट:- यदि न्यूनतम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने में एवं अध्ययनरत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में अंतराल रहा हो एवं शैक्षिक अभिलेख द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की गई हो तो उस अवधि का विस्तृत ब्यौरा दस्तावेजों—प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ङ) यदि कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की गई हो तो उसका विवरण:-

1. क्या विद्यार्थी को अध्ययन शुल्क से छूट दी गई है।
2. यदि छूट दी गई है तो दी गई छूट की रकम का उल्लेख करें।
3. क्या इस पढाई के लिए उसने अन्य स्त्रोत से किसी प्रकार का वृतिका/सहायता प्राप्त की है। यदि हों तो रकम एवं स्त्रोत का विवरण दें।

रकम

संस्थान का नाम

(च) बच्चों की शिक्षा हेतु विभाग से प्राप्त सहायता का विवरण (रूपये अंको में) -----

1. मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-
2. मेरा बच्चा/आश्रित अन्य किसी स्त्रोतों से शिक्षा के लिए पहले से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

- नोट:
- (1) वर्ष 2018–19 के दौरान विद्यालय/संस्थान में प्रवेश हेतु प्राप्त प्रवेश शुल्क रसीद की सत्यापित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें।
 - (2) प्रपत्र के सभी कॉलमों का उत्तर देना आवश्यक है।
 - (3) आवेदन फार्म पूर्णरूप से हिन्दी में ही भरा जावें।

२

संस्था प्रधान का प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. कॉलम 'ग' में वर्णित प्रविष्टियां सत्य हैं।
2. श्री/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ ने
कक्षा _____ वर्ष 2017-2018 में पास कर ली है, एवं
_____ प्रतिशत अंक प्राप्त किए। विद्यार्थी ने कक्षा _____ में सभी
अनुभागों को मिलाकर _____ स्थान प्राप्त किया।
3. यह स्कूल/संस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त है। जिसका पंजीकरण क्रमांक
_____ दिनांक _____ है।

स्थान :

दिनांक :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

दूरसंचार जिला/यूनिट प्रधान का प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय अभिलेख के अनुसार कॉलम 'क' एवं 'ख' की प्रविष्टियां सही हैं।

अग्रेषित :

सहायक निदेशक (कल्याण) एवं सचिव बी.एस.एन.एल. राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि कॉलम "क" एवं "ख" में दी गई प्रविष्टियाँ सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

यूनिट अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

22